

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद ।

दण्डवाद सं0-91 / 2015

राज्य बनाम. सोनू उर्फ गजेन्द्र आदि

आरोप

मैं प्रीति मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद आप अभियुक्त सोनू उर्फ गजेन्द्र पर निम्नलिखित आरोप से विरचित करती हूँ :-

01- यह कि दिनांक 25.06.2014 को समय 07.30 ए0एम0 स्थान जसपुर रोड तिराहा ठाकुरद्वारा थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में आप अभियुक्त ने मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पेन्डर प्रो बिना नम्बर चेसिस नं0-MBLHA10ABBHA16573, इंजन नं0-HA10EGBHA25029 चोरी की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सँ0 की धारा-379 के तहत दण्डनीय अपराध है, और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

02-यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त चोरी की गयी मोटर साईकिल पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपके कब्जे से बरामद हुई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सँ0 की धारा-411 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद्वारा निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोप पर आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

..

दिनांक: 28.06.2019

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजि0 ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाये व समझाये गये जिससे उन्होने इंकार किया एवं विचारण चाहा ।

दिनांक: 28.06.2019

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजि0 ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद ।

